



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

की ओर से शास्त्रीनगर जी०-ब्लॉक स्थित सामुदायिक केन्द्र में
निर्मित बैडमिन्टन कोर्ट एवं राजनगर योजना में महावीर वाटिका के
सामने निर्मित बैडमिन्टन कोर्ट के संचालन हेतु सक्षम इच्छुक
कोच/संस्थानों/एसोसिएशनों एवं समूह से नीलामी/निविदा के
माध्यम से अनुज्ञाप्ति/किराया पद्धति के आधार पर दिये जाने हेतु
नियम एवं शर्तों की विवरणिका।

एक सुन्दर शहर.....हमारा संकल्प

मूल्य - ₹ 1100/-

नीलामी दिनांक : 24.06.2022 से प्रत्येक शुक्रवार (अवकाश को छोड़कर)

नीलामी स्थल : सभागार कक्ष, कार्यालय परिसर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।



ગાજીયાબાદ વિકાસ પ્રાધિકરણ, ગાજીયાબાદ।

વિકાસ પથ, ગાજીયાબાદ।
(I.S.O. 9001:2008 એવં I.S.O. 14001:2004 પ્રમાણિત સંસ્થા)

શાસ્ત્રીનગર જી0-બ્લોક સ્થિત સામુદાયિક કેન્દ્ર મેં નિર્મિત બૈડમિન્ટન કોર્ટ એવં
રાજનગર યોજના મેં મહાવીર વાટિકા કે સામને નિર્મિત બૈડમિન્ટન કોર્ટ કો
નીલામી/નિવિદા કે માધ્યમ સે અનુજ્ઞાપ્તિ/કિરાયા પદ્ધતિ કે આધાર પર સંચાલન હેતુ
નિયમ વ શર્તો:-

1. બૈડમિન્ટન કોર્ટ કે સંચાલન કી અવધિ 5 વર્ષ હોગી।
2. નિવિદાદાતા/બોલીદાતા કો ₹ 1,00,000.00 (એક લાખ) માત્ર ધરોહર રાશિ ડીઓડીઓ કે રૂપ મેં આવેદન-પત્ર કે સાથ જમા કરને હોંગે, જો કી ઉપાધ્યક્ષ ગાજીયાબાદ વિકાસ પ્રાધિકરણ કે પક્ષ મેં દેય હોગી। સર્વોચ્ચ બોલીદાતા/નિવિદાદાતા કી ઉક્ત ધનરાશિ જમાનત કે રૂપ મેં જમા રહેગી। યહ રાશિ સંચાલન હેતુ નિર્ધારિત અવધિ પૂર્ણ હોને કે ઉપરાન્ત વાપિસ કી જાયેગી। યહ ધનરાશિ સર્વોચ્ચ બોલી/નિવિદા/ઑફર દર કી રાશિ મેં સમાયોજિત નહીં હોગી।
3. નિવિદાદાતા/બોલીદાતા કે આયકર પૈન નંબર, નિવાસ પ્રમાણ પત્ર વ ફોટો પહોંચાન પત્ર કી પ્રતિ જમા કરાની હોગી।
4. યહ કી ઇસ અનુજ્ઞાપ્તિ પર બૈડમિન્ટન કોર્ટ સંચાલન કાર્ય કા વાર્ષિક અનુજ્ઞાપ્તિ કિરાયા પ્રત્યેક આગામી વર્ષ આરમ્ભ હોને સે પૂર્વ જમા કરના હોગા। અનુજ્ઞાપ્તિ કિરાયા વર્ષ આરમ્ભ હોને સે પૂર્વ અદા ન કરને પર 14 પ્રતિશત વાર્ષિક કી દર સે જમા કી તિથિ તક પૈનલ બ્યાંજ દેય હોગા તમી નિયમાનુસાર અનુજ્ઞાપ્તિ વિલેખ પર પુનર્વિચાર કિયા જાયેગા। પ્રત્યેક વર્ષ અનુજ્ઞાપ્તિ કિરાયા કી સ્વીકૃત ધનરાશિ મેં 10.00 પ્રતિશત કી વાર્ષિક વૃદ્ધિ/ઉપભોક્તા મૂલ્ય સૂચકાંક જો ભી અધિક હો કે આધાર પર હોગી।
5. યહ કી અનુજ્ઞાપ્તિ પર દી ગયી સમ્પત્તિ તથા અન્ય કાર્યો કા કબજા અનુબન્ધ/અનુજ્ઞાપ્તિ વિલેખ કે નિષ્પાદન કે બાદ પ્રદાન કિયા જાયેગા। અનુજ્ઞાપ્તિ પર દી ગયી સમ્પત્તિ કા પૂર્ણ સ્વામિત્વ પ્રાધિકરણ કા હોગા ઔર નિવિદાદાતા/બોલીદાતા કો નિર્માણ કરને કા કોઈ અધિકાર પ્રાપ્ત નહીં હોગા। યદિ સ્થળ પર કોઈ પરિવર્તન કિયે જાને કા પ્રાધિકરણ સ્તર પર નિર્ણય લિયા જાતા હૈ, તો નિવિદાદાતા/બોલીદાતા કો ઉક્ત નિર્ણય માન્ય હોગા।
6. યહ કી અનુજ્ઞાપ્તિ અવધિ સમાપ્ત હોને પર ઉપાધ્યક્ષ, ગાજીયાબાદ વિકાસ પ્રાધિકરણ કી અનુમતિ સે હી અનુબન્ધ/અનુજ્ઞાપ્તિ વિલેખ કા નવીનીકરણ હો સકેગા। અનુબન્ધ/અનુજ્ઞાપ્તિ અવધિ સમાપ્ત હોને સે પૂર્વ હી લિખિત અનુરોધ પર ઉપાધ્યક્ષ દ્વારા વિચારોપરાન્ત અનુબન્ધ/લાઇસન્સ નવીનીકરણ કે વિષય મેં નિર્ણય લિયા જાયેગા। અનુબન્ધ/લાઇસન્સ નવીનીકરણ કી અનુમતિ ન પ્રદાન કિયે જાને પર નિવિદાદાતા/બોલીદાતા/અનુજ્ઞાપ્તિગૃહિતા કો સ્થળ કા કબજા પ્રાધિકરણ કો વાપિસ સૌંપના હોગા।
7. યહ કી અનુબન્ધ/અનુજ્ઞાપ્તિ વિલેખ પર દી ગયી સમ્પત્તિ વ ઉસકે આસ-પાસ કી સફાઈ તથા ક્ષેત્ર કા રખ-રખાવ કા પૂર્ણ દાયિત્વ અનુજ્ઞાપ્તિગૃહિતા કા હોગા ઔર અનુજ્ઞાપ્તિગૃહિતા અપને ખર્ચ પર આવશ્યક વ્યવસ્થા સ્વયં કરેગા।
8. યહ કી અનુજ્ઞાપ્તિ પર દિયે ગયે સ્થળ કો અતિક્રમણ મુક્ત રખને કી સમસ્ત જિમ્મેદારી બોલીદાતા/નિવિદાદાતા કી હોગી વ અનુજ્ઞાપ્તિ પર દી ગયી સમ્પત્તિ કે આકાર મેં કિસી ભી પ્રકાર કા પરિવર્તન નહીં કરેગા ઔર સ્થળ

पर ऐसी गतिविधि संचालित नहीं करेगा जिससे बोलीदाता/निविदादाता के स्वामी होना प्रदर्शित होता हो।

9. यह कि प्राधिकरण को अनुज्ञाप्ति पर दी गयी सम्पत्ति के निरीक्षण करने का अधिकार होगा, तथा प्राधिकरण द्वारा दिये गये सुझाव बोलीदाता/निविदादाता को मान्य होंगे।
10. यह कि अनुज्ञाप्ति पर दी गयी सम्पत्ति एवं उसके अनुरक्षण पर नियमानुसार केन्द्र सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क कर, जी०एस०टी० या अन्य कर/देयता यथासंशोधन के अनुसार अदा करने का दायित्व बोलीदाता/निविदादाता का होगा, प्राधिकरण उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. बैडमिन्टन कोर्ट के परिसर में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है।
12. निविदा/बोली स्वीकृति के उपरान्त उच्चतम बोली/निविदा दर के आधार पर तय वार्षिक अनुज्ञाप्ति किराया की धनराशि अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।
13. नीलामी में निविदादाता/बोलीदाता द्वारा दी गयी उच्चतम बोली/निविदा दर के आधार पर नीलामी स्वीकृत की जायेगी।
14. आयकर प्राविधानों के अनुसार समस्त कार्यों हेतु प्राप्त उच्चतम बोली/निविदा दर की धनराशि पर निर्धारित देय कर व प्रशासन/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कर लागू किये जाने की दशा में उक्त धनराशि अतिरिक्त रूप में बोली स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
15. विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।
16. नीलामी के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।
18. यदि बैडमिन्टन कोर्ट संचालन की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा समाप्त की जाती है तो संचालनकर्ता को शेष अवधि के लिए अनुपातिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।
19. निविदा/बोली की स्वीकृति के पश्चात संचालनकर्ता को अपने खर्च पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपर पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध/अनुज्ञाप्ति विलेख निष्पादित कराना होगा।
20. अनुज्ञाप्तिगृहिता अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नहीं करेगी, ऐसा करने की दशा में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
21. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी खिलाड़ी/दर्शक के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।
22. बैडमिन्टन कोर्ट रथलों में समस्त क्रीड़ा गतिविधियों की एक्सपर्ट से ट्रेनिंग आदि दिलाई जायेगी और उसके लिए प्रशिक्षण शुल्क संचालनकर्ता/अनुज्ञाप्तिगृहिता द्वारा लिया जा सकता है, जो कि निम्नवत् होगा।

(A)

Pay & Play

खेलने का समय	दिवस	दर	खेलने की समय सीमा
प्रातः 5:00 बजे से 9:00 बजे तक सांय 7:45 बजे से 10:30 बजे तक	सप्ताह के छः दिवस	₹ 120.00 + टैक्स प्रति कोर्ट	40 मिनट

(B)**Coaching**

खेलने का समय	दिवस	दर	खेलने की समय सीमा
प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक सांय 5:00 बजे से 7:45 बजे तक	सप्ताह के छः दिवस	₹ 2400.00 + टैक्स प्रति कोर्ट	---

नोट— प्रत्येक बृहस्पतिवार को अवकाश रहेगा।

23. स्थल पर विद्युत कनैक्शन तथा उस पर व्यय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करेगा, लेकिन विद्युत उपयोग की की प्रतिपूर्ति का भुगतान बोलीदाता/निविदादाता द्वारा मासिक आधार पर वहन किया जायेगा, समय से भुगतान न करने पर अर्थदण्ड भी संचालनकर्ता को जमा करना होगा एवं विद्युत अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य भी अनुज्ञाप्तिगृहिता अपने हर्जे—खर्चे पर करायेगा।
24. नीलामीदाता/बोलीदाता बैडमिन्टन कोर्ट स्थल पर किसी प्रकार का खोखा/ठेला अथवा हॉकर्स की स्थापना नहीं करायेगा, ऐसा करने की दशा में नीलामी को निरस्त करते हुए जमा धनराशि प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी। विशेष परिस्थिति में नियम शर्तों के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जायेगी।
25. प्राधिकरण द्वारा निर्मित/स्थापित गेट/पोस्ट में यदि कोई टूट-फूट या कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता/बोलीदाता को करनी होगी।
26. नीलामीदाता/बोलीदाता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं स्थानीय न्यायालय द्वारा समय—समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा।
27. दरों के सम्बन्ध में स्थल पर सूचना पट एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगवाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।
28. बैडमिन्टन कोर्ट संचालन हेतु कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
29. स्थल पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं जैसे बैरियर, उद्घोषणा हेतु माईक, टिकट केबिन, सूचना पट आदि के रख—रखाव का दायित्व कार्यरत अनुज्ञाप्तिगृहिता/संचालनकर्ता का होगा एवं उसमें होने वाली किसी क्षति की पूर्ति बोलीदाता/निविदादाता को स्वयं करनी होगी।
30. बैडमिन्टन कोर्ट स्थल के संचालन व्यवस्था में लगाये गये सभी कर्मी 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आयु के निरोगी/स्वस्थ हो तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Labour Act), ₹०एस०आई०, पी०एफ० आदि का उत्तरदायित्व संचालनकर्ता का होगा। प्रशिक्षक (कोच) के लिए आयु सीमा शिथिलनीय होगी।
31. बैडमिन्टन कोर्ट व्यवस्था संचालन में लगाये गये कर्मी पूर्व में कभी भी किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने चाहिए, तथा संचालक एजेन्सी द्वारा कर्मियों के चरित्र प्रमाण पत्र का शपथ पत्र प्राधिकरण में जमा कराने होंगे।
32. संचालनकर्ता को प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के कर्मचारियों के लिए शुल्क में 50.00 प्रतिशत की छूट देनी होगी, इसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
33. संचालनकर्ता द्वारा अपने नाम के साथ—साथ प्राधिकरण के लोगो एवं नाम का डिसप्ले बोर्ड लगाना होगा।
34. संचालनकर्ता स्थल पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगायेगा, जिससे स्वामित्व का आभास होता हो।

35. बैडमिन्टन कोर्ट रुम की समस्त सुरक्षा एवं रख-रखाव तथा साफ-सफाई का दायित्व बोलीदाता / निविदादाता का होगा।
36. प्राधिकरण को बैडमिन्टन कोर्ट की जब भी आवश्यकता होगी, तभी सूचना के अनुसार स्थल उपलब्ध कराना होगा।
37. बैडमिन्टन कोर्ट का उपयोग क्रीड़ा गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जायेगा।
38. क्रीड़ा स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व संचालनकर्ता का होगा।
39. यदि अनुज्ञाप्तिगृहिता/संचालनकर्ता द्वारा समय से पूर्व कार्य को समर्पण (Surender) किया जाता है तो जमानत के रूप में जमा धनराशि ₹ 1,00,000.00 मात्र जब्त कर ली जायेगी।
40. बैडमिन्टन कोर्ट के संचालन हेतु सक्षम इच्छुक कोच/संस्थान/एसोसिएशन एवं समूह नीलामी/निविदा के प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगे।
41. यह कि अनुज्ञाप्ति अवधि के दौरान यदि किसी कर्मचारी/खिलाड़ी के साथ कोई दुर्घटना होती है, उसके लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
42. संचालनकर्ता को कोविड-19 की गाईड लाइन्स का पालन करना होगा तथा स्थल पर सेनेटाईजर की व्यवस्था रखनी होगी, पर्याप्त दूरी रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
43. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये नीलामी निरस्त कर कर दी जायेगी तथा बैडमिन्टन कोर्ट संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में अनुज्ञाप्तिगृहिता/संचालनकर्ता को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।

(तालिका विवरण)

क्र० सं.	स्थल का नाम	स्थलों की संख्या	अवधि	आरक्षित किराया दर (एक वर्ष हेतु ₹)	धरोहर राशि (₹)
1	2	3	4	5	6
1	शास्त्रीनगर जी0-ब्लॉक स्थित सामुदायिक केन्द्र में निर्मित बैडमिन्टन कोर्ट	01	05 वर्ष	1,69,104.00	1,00,000.00
2	राजनगर योजना में महावीर वाटिका के सामने निर्मित बैडमिन्टन कोर्ट	01	05 वर्ष	1,28,841.00	1,00,000.00

प्रभारी व्यवसायिक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

शपथ-पत्र

सत्यापित फोटो

समक्ष : उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

मैं/हम.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी

जन्म तिथि आयु वर्ष (लगभग)

निवासी

निम्नलिखित शपथ पूर्वक बयान करता हूँ / करती हूँ / करते है :

1. यह कि मेरा/हमारा उपरोक्त नाम एवं पता सब सही है।
2. यह कि मैं/हम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक को नीलाम किये जा रहे बैडमिन्टन कोर्ट योजना गाजियाबाद की नीलामी में बोलीदाता के रूप में प्रतिभाग कर रहा हूँ/रही हूँ/रहे है।
3. यह कि मैं/हम बोली सफल होने पर बैडमिन्टन कोर्ट आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम हूँ/है।

यह कि उपरोक्त शपथ-पत्र की सभी धारायें मेरे निजी ज्ञान और विश्वास में सब सत्य है कोई कथन असत्य नहीं है। कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही के लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार हूँगा/हूँगी/रहेंगे।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथकर्ता

(नोट : शपथ-पत्र ₹ 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित कराकर संलग्न किये जाये।)

**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा
प्रस्तावित नीलामी में प्रतिभाग हेतु प्राधिकार-पत्र**

सेवा में,

नीलामी अधिकारी,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सत्यापित फोटो

महोदय,

मैंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक को नीलाम
किये जा रहे बैडमिन्टन कोर्ट योजना
गाजियाबाद की नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन किया है।

किन्ही कारणों वश मैं उक्त नीलामी में स्वयं भाग नहीं ले पा रहा/रही हूँ। अतः उक्त नीलामी में भाग लेने
हेतु मैं श्री/कु0/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी
आयु वर्ष (लगभग) निवासी
को जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किये गये है, को नीलामी में बोली देने हेतु अधिकृत करता/करती हूँ।
मेरे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जो भी बोली दी जायेगी वह मुझे पूर्णतया मान्य होगी।

भवदीय/भवदीया :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम :

पता :

हस्ताक्षर प्रमाणित

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

नीलामी में प्रतिभाग हेतु निविदादाता / बोलीदाता का विवरण

1. आवेदक का नाम :
Name of the Application (in block letters)
2. पिता/पति का नाम :
Father/Husband Name:
3. उम्र :
Age :
4. पूरा पता :
Full Address :
 - (ए) स्थायी पता :
 - (a) Permanent Address :
 - (बी) पत्र व्यवहार का पता :
 - (b) Correspondence Address :
 - (सी) टेलीफोन नं 0 मोबाइल ई-मेल.....
 - (c) Telephone No.: Mobile No.: E-mail :
5. व्यवसाय :
Occupation :

राजपत्रित
अधिकारी/नोटरी पब्लिक
द्वारा सत्यापित फोटो
Paste a passport size
photp attested by
Gazetted
Officer/Public
Notary

बैडमिन्टन कोर्ट का विवरण

1. स्थल/योजना का नाम :
Name of Site/Scheme
2. नीलामी का विवरण :
Auction Details :
 - (ए) निविदादाता द्वारा क्रय करने हेतु ऑफर दर (अंकों में).....
 - (a) Offer rate for purchase by the tenderer (in figures)
 - (बी) नीलामी हेतु जमा धनराशि का विवरण
 - (b) Details of Amount Deposited for Auction

घोषणा

Declaration

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस नीलामी में एक आवेदक के रूप में अपने/कम्पनी/संस्था/फर्म/ट्रस्ट की ओर से उक्त बैडमिन्टन कोर्ट के नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत आवेदन किया है। मैंने उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तों को भली प्रकार पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि प्रोफार्मा पर निर्धारित शर्तों के अधीन जमा करते हुए अपने ख्यय के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में सम्पत्ति का अनुज्ञाप्ति विलेख कराऊँगा।

I the undersigned being one of the applicants in the auction, as mentioned above and hereby apply on my behalf of the applicant above named to the Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad for allotment of the Badminton Court described above, under the Ghaziabad Development Authority rules. I have read and understood all the condition mentioned in the brochure of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be executed with the Licence deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as may be decided by the Authority.

दिनांक :

Dated

आवेदक के हस्ताक्षर.....

Signature of the bidder